

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
डबल्यू. पी. (सी) संख्या 6039/2016

एटीसी टेलीकॉम टॉवर कॉर्पोरेशन प्रा. लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा, अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से

..... याचिकाकर्ता

बनाम

रांची नगर निगम, द्वारा नगर आयुक्त, रांची और अन्य

.....उत्तरदाता

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए:
प्रतिवादी-आर एम सी

श्री भरत कुमार, अधिवक्ता
के लिए: श्री प्रशांत कुमार सिंह, अधिवक्ता

05/05. 01. 2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता श्री भरत कुमार वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं क्योंकि यह निष्प्राय गया है।

प्रतिवादी-रांची नगर निगम के विद्वत अधिवक्ता श्री प्रशांत कुमार सिंह को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अनुमति दी जाती है।

रिट याचिका को निष्प्राय के रूप में खारिज किया जाता है।

आई.ए. सं. 4750/2020 भी उसी के अनुसार निपटाया गया है।

(राजेश शंकर, न्याया0)

मनीष